नगर परिषद घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 04/2014 से 03/2016

भाग—एक

1 प्रारम्भिक

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255(1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः 1—376/81—फिन(एल0ए0)खण्ड—IV, दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत, नगर परिषद घुमारवीं, जिला बिलासपुर के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य किया गया।

(ख) वर्तमान अंकेक्षण के दौरान आहरण एवं संवितरण अधिकारी के पद पर निम्न प्रधान व कार्यकारी अधिकारी कार्यरत्त रहेः—

प्रधानः—

क्रम संख्या	नाम	तैनाती की अवधि
1	श्रीमती रीता सहगल	1.4.14 से 17.1.16
2	श्रीमती गीता महाजन	18.1.16 से 31.3.16
कार्यकारी अधिकारीः—		
1	श्री विनोद कुमार शर्मा	1.4.14 से 31.3.16

(ग) नगर परिषद घुमारवीं, जिला बिलासपुर के लेखों अवधि 4/2014 से 3/2016 तक के अंकेक्षण में पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार निम्न प्रकार से हैः—

क्रम संख्या	गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	पैरा संख्या	राशि लाखों में
1	सरकारी अनुदान की व्यय हेतु शेष राशि	6 (1)	560.77
2	निवेशित राशियों पर काटे गये टी0डी0एस0 की वसूली न करना	7 (3)	1.11
3	स्थापना पर किये गये व्यय का अधिक भुगतान करना	8 (1)	5.76
4	स्थापना पर निर्धारित सीमा से अधिक व्यय	8 (2)	27.86
5	दिनांक 31.3.16 को गृहकर की वसूली हेतु बकाया राशि	9 (1)	53.63
6	गृहकर राशि की वसूली न करना	9 (3)	5.16
7	गृहकर माँग व संग्रह रजिस्टर में बकाया राशि को कम दर्शाना	9 (4)	11.11

8	दिनांक 31.3.16 को किराये की वसूली हेतु बकाया राशि	10 (1)	3.76
9	दुकानो को खाली/छोडने पर बकाया राशि की वसूली न करना	10 (2)	0.36
10	किराये पर सेवाकर का भुगतान न करना	10 (3)	0.56
11	4th राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान राशि से अनियमित भुगतान करना	11	114.07
12	मोबाईल टावरों की स्थापना व नवीनीकरण शुल्क की वसूली न करना	13	0.67

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **"परिशिष्ट क"** पर दर्शाई गई है। अंकेक्षण के दौरान यह देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर नगर परिषद द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है जो अत्यन्त चिन्ताजनक है। अतः परामर्श दिया जाता है कि नगर परिषद द्वारा इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विशेष अभियान/कार्यवाही करने उपरान्त कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ताकि अधिक से अधिक पैरों का निपटारा सम्भव हो सके।

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

नगर परिषद घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं अवधि 04/2014 से 03/2016 तक को अंकेक्षण श्री चम्बेल सिंह परमार, सहायक नियन्त्रक (लेखा परीक्षा) व श्री पुनीत कुमार (आर्टिकल सहायक) द्वारा दिनांक 24.8.2016 से 23.9.2016 तक के दौरान सम्पन्न किया गया। आय की विस्तृत जाँच हेतु माह 4/2014 व 12/2015 तथा व्यय की विस्तृत जाँच हेंतु माह 3/2015 व 6/2015 के लेखाओं का चयन किया गया जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है। अंकेक्षण के दौरान आगामी पैरों में दर्शाये गये अभिलेखों के अतिरिक्त समस्त अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया।

"इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण कार्यकारी अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं के आधार पर किया गया है किसी भी प्रकार की अधूरी व छुपाई गई सूचना के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा क्योंकि लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण केवल चयनित मासों तक ही सीमित रखा गया है।

3 अंकेक्षण शुल्क

नगर परिषद घुमारवीं के लेखाओं अवधि 4/2014 से 3/2016 तक के अंकेक्षण करने का शुल्क ₹41200/– बनता है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या 86 दिनांक 23.9.2016 द्वारा कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद घुमारवीं को अंकेक्षण शुल्क की राशि का भुगतान निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009 को रेखाकिंत बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से प्रेषित करने का आग्रह किया गया।

4 वित्तीय स्थिति

नगर परिषद घुमारवीं के लेखाओं अवधि 4/2014 से 3/2016 तक की वित्तीय स्थिति निम्नलिखित है जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "ख"** में भी दिया गया है।

क्र0सं0	विवरण	2014–15	2015–16
1	प्रारम्भिक शेष	20679703	24238361
2	वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज	1569468	2053499
3	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	15115909	49410210
4	वर्ष के दौरान अपने स्त्रोत से प्राप्ति	4161084	5191420
5	कुल प्राप्त राशि	41526164	80893490
6	वर्ष के दौरान व्यय	17287803	16843110
7	अन्तशेष	24238361	64050380

4.1 बैंक समाधान विवरणिकाः–

1	रोकड़ बही के अनुसार 31.3.2016 को अन्तशेष	₹64050380
2	दिनांक 31.3.2016 को रोकड़ बही में दर्ज व्यय के चैक जो भुगतान हेतु बैंक में प्रस्तुत नहीं किए गए (विवरण पैरा 4.2)	(+) 45001
3	**कुल राशि**	**64095381**
4	31.3.2016 को बैंक में कुल जमा राशि (विवरण पैरा 4.3)	64095381

4.2 नगर परिषद द्वारा दिनांक 31.3.2016 को जारी चैक परन्तु बैंक में भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए का विवरण निम्नलिखित हैः–

क्र0सं0	दिनांक	चैक सं0	राशि (₹)
1	1.11.15	131630	583
2	1.11.15	131631	403
3	29.1.16	341125	6859
4	10.3.16	341940	550
5	28.3.16	341951	120

6	28.3.16	341952	12698
7	28.3.16	341953	254
8	28.3.16	341954	497
9	28.3.16	341955	4495
10	28.3.16	341956	2400
11	28.3.16	341957	10230
12	28.3.16	341958	2360
13	28.3.16	341959	1860
14	28.3.16	341960	1692
		योग	**₹45001**

4.3 दिनांक 31.3.2016 को विभिन्न बैंकों में जमा राशियों का विवरणः—

क्र0सं0	**बैंक का नाम**	**खाता सं0**	**31.3.16 को शेष राशि (₹)**
1	ओ0बी0सी0	3271	39585680
2	सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया	4925	88087
3	ग्रामीण बैंक	1	2015
4	राज्य सहकारी बैंक	10544	5732476
5	राज्य सहकारी बैंक	464	5771309
6	राज्य सहकारी बैंक	19500	511326
7	ग्रामीण बैंक	23303	83815
8	एच0डी0एफ0सी0	6290	493680
9	केन्द्रीय बैंक	7054	725992
10	केन्द्रीय बैंक	—	—
11	राज्य सहकारी बैंक	11010110976	124585
12	पंजाब नैशनल बैंक	31559	95059
13	ओ0बी0सी0 सावधि जमा योजना	428822	2990601
14	राज्य सहकारी बैंक सावधि जमा योजना	729088	2000000
15	एच0डी0एफ0सी0 सावधि जमा योजना	40804	4404616
16	पंजाब नैशनल बैंक सावधि जमा योजना	006804	1486140
17	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	72900	—
18	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	70196	—
		कुल राशि	**₹64095381**

5 पैन्शन एवं उपदान निधिः—

नगर परिषद घुमारवीं के पैन्शन एवं उपदान निधि की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "ग"** में भी दिया गया है।

क्र0सं0	**विवरण**	**2014—15**	**2015—16**
1	प्रारम्भिक शेष	3618351	3951491
2	वर्ष के दौरान प्राप्ति	505812	495540

3	वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज	31039	109958
4	कुल जोड़ राशि	4155202	4556989
5	वर्ष के दौरान व्यय	203711	215820
		3951491	**4341169**

अन्तशेष का विवरणः–

1	बैंक खाता संख्या 12885 में जमा राशि	₹1273787
2	सावधि जमा योजना में निवेशित राशि	₹3067382
		4341169

6 अनुदानः–

नगर परिषद घुमारवीं के अवधि 4/2014 से 3/2016 तक विभिन्न विभागों से प्राप्त अनुदान राशियों का विवरण निम्नलिखित है जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "ध"** में भी दिया गया है।

क्र0सं0	विवरण	2014–15	2015–16
1	प्रारम्भिक शेष	15229709	18204466
2	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	15115909	49410210
3	कुल योग	30345618	67614476
4	वर्ष के दौरान प्राप्त व्यय	12141152	11537455
5	अन्तशेष	18204466	56077221

6 (1) दिनाँक 31.3.2016 को सरकारी अनुदान की ₹560.77 लाख व्यय हेतु शेषः–

नगर परिषद द्वारा अवधि 1.4.2014 से 31.3.2016 के दौरान प्राप्त अनुदानों व इस अवधि में किए गए व्यय व 31.3.2016 को पाये गए अन्तशेष तथा पूर्व में अनुपयुक्त अनुदान राशियों का विवरण **परिशिष्ट (ङ)** पर विस्तार से दिया गया है। वर्ष 2013–14 से पूर्व अवधि के अनुदानों की शेष ₹15229709 में से वर्ष 2014–15 के दौरान ₹6398192 व वर्ष 2015–16 के दौरान ₹622528 व्यय की गई थी। दिनांक 31.3.2014 को परिषद द्वारा पार्किंग निर्माण हेतु अधिक व्यय की गई ₹785289 को वर्ष 2014–15 व 2015–16 में पार्किंग निर्माण हेतु प्राप्त अनुदान राशियों के विरूद्ध समायोजित किया गया था। ₹8994278 दिनांक 31.3.2016 को व्यय हेतु शेष थी।

वर्ष 2014–15 के दौरान विभिन्न स्त्रोतों से ₹15115909 अनुदान के रूप में प्राप्त हुई जिसमें से ₹5742960 वर्ष 2014–15 के दौरान व ₹4146951 वर्ष 2015–16 के दौरान व्यय की गई, ₹140000 दिनांक 31.3.2014 तक पार्किंग हेतु अनुदान की अधिक व्यय की गई राशि के विरूद्ध समायोजित की गई थी तथा ₹5085998 दिनांक 31.3.2016 को अनुपयुक्त थी।

इसके अतिरिक्त वर्ष 2015–16 के दौरान विभिन्न स्त्रोतों से अनुदान के रूप में ₹49410210 प्राप्त हुई जिसमें सें वर्ष 2015–16 के दौरान मात्र ₹6767976 व्यय की गई तथा ₹645289 दिनांक 31.3.2014 को पार्किंग अनुदान की अधिक व्यय राशि के विरूद्ध समायोजित की गई थी। दिनांक 31.3.2016 को ₹41996945 अनुपयुक्त थी।

उपरोक्त विवरणानुसार 31.3.2016 को ₹56077221 (₹8994278+ ₹5085998+₹41996945) अनयुपयुक्त थी। अतः अनुदान राशियों को सम्बन्धित वर्षों में व्यय न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा शेष राशियों को अविलम्ब नियमानुसार समयबद्ध व्यय किए जाने बारे पग उठाये जाए अन्यथा अनुपयुक्त राशियों को सम्बन्धित विभाग/संस्था को लौटाया/वापिस किया जाना सुनिश्चित करें।

7 (i) सावधि निवेशः–

नगर परिषद घुमारवीं के लेखों अवधि 4/2014 से 3/2016 के दौरान ₹10881357 का निवेश सावधि जमा योजना में किया गया था जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "च"** में भी दिया गया है।

क्र0 सं0	सावधि जमा सं0	बैंक का नाम	निवेश की तिथि	निवेशित राशि	अवधि	ब्याज दर	परिपक्वता की तिथि	परिपक्वता राशि
1	4797995 /428822	ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स घुमारवीं	19.10.15	2990601	1 वर्ष	7.75%	19.10.16	3229196
2	40804	एच0डी0एफ0सी0 बैंक घुमारवीं	9.11.15	4404616	1 वर्ष	7.90%	9.11.16	4763172
3	006804	पंजाब नैशनल बैंक घुमारवीं	29.9.15	1486140	1 वर्ष	8%	29.9.16	1608646
4	2006046 /729088	राज्य सहकारी बैंक घुमारवीं	2.11.15	2000000	1 वर्ष	8%	2.11.16	2164864
				₹10881357				

7 (2) पैन्शन एवं उपदान लेखे से सावधि जमा निवेशः–

परिषद के पैन्शन एवं उपदान लेखे से सावधि जमा योजना में निवेशित राशि का विवरण निम्न प्रकार से है जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "छ"** में भी दिया गया है।

क्र0सं0	एफ0डी0आर0 नं0	बैंक का नाम	निवेश की तिथि	निवेशित राशि	अवधि	ब्याज दर %	परिपक्वता की तिथि	परिपक्वता राशि
1	1137514	राज्य सहकारी	24.9.13	2500000	35 माह	8.75%	24.8.16	3218254

		बैंक घुमारवीं						
2	1137515	राज्य सहकारी बैंक घुमारवीं	24.2.15	567382	17 माह	9**%**	24.7.16	643689
			योग	**3067382**				

सावधि जमा में निवेशित राशियों को उनकी परिपक्वता तिथि को बैंक से भुनाया/पुनः निवेशित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

7 (3) परिषद द्वारा करवाई गई निवेशित राशियों पर प्राप्त ब्याज में से विभिन्न बैंकों द्वारा स्त्रोत पर काटे गये टी0डी0एस09 की ₹1.11 लाख की वसूली न करनाः–

अंकेक्षण में जाँच के दौरान यह पाया गया कि परिषद द्वारा निम्नविवरणानुसार विभिन्न बैंकों में राशियाँ निवेशित की गई थी तथा निवेशित राशियों की परिपक्वता की तिथि पर सम्बन्धित बैकों द्वारा टी0डी0एस0 काटा गया परन्तु परिषद द्वारा काटे गये कुल टी0डी0एस0 की राशि को विभिन्न बैंकों से वापिस प्राप्त नहीं किया है। अतः अनुपालना हेतु राय दी जाती है कि परिषद सम्बन्धित बैकों से सम्पर्क करते हुये स्त्रोत पर काटे गये टी0डी0एस0 की राशि की वापिसी हेतु समुचित कदम उठाये।

क्र0 सं0	**दिनांक**	**एफ0डी0आर0 सं0**	**देय परिपक्वता राशि**	**प्राप्त राशि**	**स्त्रोत पर काटे गये कर की राशि**	**बैंक का नाम**
1	9.5.14	317233729	4065227	4013968	51259	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया घुमारवीं
2	19.10.15	428822	3043875	2990601	53274	ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स घुमारवीं
3	29.9.15	006804	1492934	1486140	6794	पंजाब नैशनल बैंक घुमारवीं
				योग	**₹111327**	

7 (4) निवेश पर ₹5797 कम ब्याज प्राप्त होने बारेः–

सावधि जमा योजना खाते में किये गये निवेशों की जाँच करने पर पाया गया कि निम्नविवरणानुसार निवेशों पर बैंक द्वारा लगभग ₹5797 ब्याज कम दिया गया है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा परिषद स्तर पर पड़ताल करके यह मामला सम्बन्धित बैंकों

से उठाया जाए तथा कम प्राप्त हुए ब्याज की वसूली करके कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

सावधि जमा सं0	बैंक का नाम/ब्याज की दर/अवधि	निवेश की तिथि	परिपक्वता की तिथि	निवेशित राशि	परिपक्वता राशि (क) जो प्राप्त हुई	जितनी परिपक्व राशि प्राप्त होनी चाहिए थी (ख)	जितना ब्याज कम प्राप्त हुआ (क–ख)
2006046	राज्य सहकारी बैंक/9%/1 वर्ष	2.11.14	2.11.15	2000000	2180370	2186167	5797
						योग	₹5797

8 **स्थापनाः–**

स्थापना पर किये गये व्यय की जाँच करने पर निम्नलिखित अनियमिततायें पाई गईः–

(1) ₹5.76 लाख का अधिक भुगतानः–

अंकेक्षण के दौरान अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि हिमाचल प्रदेश सरकार वित्त (वेतन परिशोधन) विभाग की अधिसूचना संख्या फिन (पी0आर0) बी (7)–67/2010 दिनांक 27.9.2012 द्वारा हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाओं के प्रवर्ग/पदवार वेतनमान दिनांक 01.10.2012 से संशोधित किए गये थे। उपरोक्त अधिसूचना में प्रवर्ग/पदवार सूची के अनुसार जो पद नहीं थे नगर परिषद घुमारवीं द्वारा उन पदों पर कार्यरत्त कर्मचारियों के वेतनमान व ग्रेड पे भी उपरोक्त अधिसूचना के आधार पर सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना दिनांक 01.10.2012 से संशोधित किए गये थे। कर्मचारियों के पूर्व में प्राप्त वेतनमान व दिनांक 01.10.2012 से नगर परिषद द्वारा संशोधित वेतनमान व ग्रेड पे का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	कर्मचारी का नाम/पद	30.9.12 को वेतनमान व ग्रेड पे	01.10.12 से संशोधित वेतनमान व ग्रेड पे
1	श्री जय लाल सामुदायिक समन्यक	5910–20200+1900 गेड पे	10300–34800+3200 ग्रेड पे
2	श्री रणजीत सिंह मैसन	5910–20200+1900 गेड पे	5910–20200+2400 ग्रेड पे
3	श्री सतपाल वर्क सुपरवाईजर	5910–20200+1950 ग्रेड पे	5910–20200+2400 ग्रेड पे
4	श्री मोंहिन्द्र कुमार वर्क सुपरवाईजर	5910–20200+1900 ग्रेड पे	5910–20200+2400 ग्रेड पे

इसके पश्चात वर्ष 2015–16 में श्री रणजीत सिंह, मैशन, श्री सतपाल व श्री महेन्द्र कुमार वर्क सुपर वाईजर का 1.1.2006 से तकनीशियन के पद पर वेतन निर्धारित करके दिनांक 1.3.2016 से इन कर्मचारियों को भुगतान किया गया था।

निदेशक शहरी विकास हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या UD-H(B)(7)-11/87-V-12021 दिनांक 3.8.2016 द्वारा स्पष्ट किया था कि नगर परिषदों में कार्यरत्त समुदायिक समन्वयक (Community Organizer) सैनेटरी सुपरवाईजर, वर्क सुपरवाईजर व मैशन का 01.10.12 से वेतनमान व ग्रेड पे संशोधित नहीं किए है न ही वर्क सुपरवाईजर को तकनीशियन का वेतनमान प्रदान करने बारे विभाग द्वारा कोई दिशा निर्देश जारी किए गये है जिसके अनुसार उपरोक्त कर्मचारियों 1.10.12 से संशोधित वेतनमान व ग्रेड पे देय नहीं थे। उपरोक्त मामला कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद घुमारवीं के ध्यान में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 74 दिनांक 29.8.16 द्वारा लाया गया था। कार्यकारी अधिकारी द्वारा पत्र संख्या MCG/Audit/2016-1953 दिनांक 22.9.16 द्वारा सूचित किया है कि उपरोक्त कर्मचारियों का निदेशक शहरी विकास द्वारा जारी दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुये वेतन पुनः निर्धारित करके अधिक भुगतान की गई राशियों की गणना कर ली गई है जिनकी निकट भविष्य में सम्बन्धित कर्मचारियों से वसूली कर ली जाएगी।

उपरोक्त मामले में इन कर्मचारियों को ₹576489/– का अधिक भुगतान किया गया था जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "ज"** पृष्ठ 1 से 4 पर दिया गया है तथा संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	**कर्मचारी का नाम/पद**	**अधिक भुगतान राशि**
1	श्री जयलाल, सामुदायिक समन्यक	514623
2	श्री महेन्द्र कुमार, वर्क सुपरवाईजर	42379
3	श्री सतपाल, वर्क सुपरवाईजर	17192
4	श्री रणजीत सिंह, मैसन	2295
	कुल राशि	576489

उपरोक्त अधिक भुगतान राशि की शीघ्र वसूली करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(2) स्थापना पर ₹27.86 लाख का निर्धारित सीमा से अधिक व्ययः–

नगर परिषद घुमारवीं के श्रेणी बार स्वीकृत तथा भरे गए व रिक्त पदों का पूर्ण ब्यौरा अंकेक्षण प्रतिवेदन में संलग्न **परिशिष्ट "झ"** पर दिया गया है। नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण

अवधि के दौरान वेतन व अन्य भत्तों पर किए गये व्यय का विवरण **परिशिष्ट "ञ"** पर संलग्न है वेतन व अन्य भत्तों पर किए गए व्यय व कुल व्यय का अनुपात नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 53 (1) सी में विहित प्रावधानों के अनुरूप नहीं पाया गया। उपरोक्त नियम के अनुसार नगर परिषद का स्थापना व्यय कुल व्यय के 1/3 भाग से अधिक नहीं होना चाहिए। स्थापना पर निर्धारित सीमा से अधिक व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है:–

वित्त वर्ष	**कुल व्यय**	**अपेक्षित 1/3rd स्थापना व्यय**	**वास्तविक स्थापना व्यय**	**निर्धारित सीमा से अधिक व्यय की राशि**
2014–15	17287803	5762601	7078979	1316378
2015–16	16843110	5614370	7084459	1470089
		निर्धारित सीमा से अधिक व्यय राशि		**₹2786467**

निदेशक, शहरी विकास के कार्यालय पत्र संख्या यू0एल0बी0–एच (ए) (7) 1–87/9237–84 दिनांक 20.6.2001 द्वारा सभी कार्यकारी अधिकारियों व सचिवों को यह निर्देश दिए गए थे कि स्थापना व्यय को कुल व्यय के 1/3 भाग (या 33 प्रतिशत) तक ही सीमित रखा जाए लेकिन नगर परिषद द्वारा दिशा निर्देशो को ध्यान में न रखकर वर्ष 2014–15 व 2015–16 के दौरान स्थापना व्यय निर्धारित सीमा से उपरोक्त विवरणानुसार ₹2786467 अधिक किया गया जोकि गम्भीर वित्तीय मामला व अनियमितता है। अतः स्थापना पर निर्धारित सीमा से अधिक व्यय की राशि को सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करके नियमितिकरण करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(3) ₹1165 का अधिक भुगतानः–

वाऊचर संख्या 57 दिनांक 1.6.2015 द्वारा कर्मचारियों के 1.7.2014 से 31.3.2015 तक देय महंगाई भत्ते की बकाया ₹483021 का भुगतान किया गया था। भुगतान की जाँच करने पर ₹1165 के अधिक भुगतान के मामले पाये गये जिनका विवरण निम्न प्रकार से है:–

क्र0 सं0	**अवधि**	**मूल वेतन**	**प्राप्त महंगाई भत्ता 100 प्रतिशत की दर से**	**देय महंगाई भत्ता 100 प्रतिशत की दर से**	**अन्तरXमाह**	**कुल देय राशि**	**कुल भुगतान राशि**	**अधिक भुगतान राशि**
	श्री वी0के0 शर्मा कार्यकारी अधिकारी							
1	1.7.14 से 30.11.14	30330	30330	32453	2123x5	10615		
	1.12.14 से 31.3.15	31240	31240	33427	2187x4	8748		
						19363	**20360**	**997**

2	**श्री कुल्लू राम सफाई कर्मचारी**							
	1.7.14 से 31.10.14	7580	7580	8111	531x4	2124		
	1.11.14 से 31.3.15	7810	7810	8357	547x5	2735		
						4859	**4943**	**84**
3	**श्री गोबिन्द राम सफाई कर्मचारी**							
	1.7.14 से 31.10.14	7580	7580	8111	531x4	2124		
	1.11.14 से 31.3.15	7810	7810	8375	547x5	2735		
						4859	4943	84
				कुल अधिक भुगतान				**1165**

अधिक भुगतान राशि की उचित माध्यम से वसूली करक कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(4) ₹942 का अधिक भुगतानः–

निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या UD-HO(7)-19/97-11-10199-10246 दिनांक 15.9.2007 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार नगर परिषदों में कार्यरत कार्यकारी अधिकारियों को निवास पर दूरभाष के लिए ₹800/– दो महीने के लिए भुगतान किया जाना था। अंकेक्षण के दौरान चयनित मासों के भुगतान वाउचरों की जाँच करने पर पाया गया कि नगर परिषद घुमारवीं के कार्यकारी अधिकारी के निवास के दूरभाष बिल का भुगतान कार्यालय द्वारा किया गया था जिसके फलस्वरूप ₹942 का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली उचित माध्यम से सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त इस तरह के अन्य मामलों में अपने स्तर पर कार्रवाई करके अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

क्र0सं0	वा0सं0	माह	दूरभाष नं0 256216 अवधि जिसका भुगतान किया गया	भुगतान राशि	देय राशि	अधिक भुगतान राशि
1	285	3/15	1.2.15 से 28.2.15	831	400	431
2	85	6/15	1.5.15 से 31.5.15	911	400	511
					जोड़	**942**

9 गृहकर से प्राप्त आय की जाँच करने पर निम्न अनियमितताऐं पाई गईः–

(1) गृहकर ₹53.63 लाख की वसूली न करनाः–

नगर परिषद घुमारवीं द्वारा जारी विवरणानुसार दिनांक 31.3.16 तक गृहकरदाताओं से ₹5362703/– की वसूली शेष थी। इस राशि का पूर्ण विवरण **परिशिष्ट "ट"** में दिया गया है। नगर परिषद द्वारा गृहकर की बकाया राशि को नियमित रूप से प्राप्त करने हेतु कोई भी ठोस कार्यवाही नहीं की गई। नगर परिषद द्वारा नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 87 व

89 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार गृहकर की बकाया राशि की वसूली न किये जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये।

(2) निम्न विवरणानुसार कुछ विभागों एंव गृहकर दाताओं से अत्याधिक गृहकर की राशियाँ कई वर्षों से वसूली हेतु लम्बित थी जबकि निदेशक, शहरी विकास के कार्यालय पत्र संख्या यू0एल0बी0 (ए) (7) 1–87–9237–9284 दिनांक 20.6.2001 द्वारा करो को शत/प्रतिशत वसूली के निर्देश जारी किये गये थे। अतः इस गृहकर दाताओं से गृहकर की समस्त राशि की वसूली नियमों के अनुसार करना सुनिश्चित करें अन्यथा गृहकर न देने वाले गृहकरदाताओं के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए।

वार्ड नं0 1

क्र0सं0	नाम	गृहकर निर्धारण सं0	वार्षिक गृहकर राशि	दिनांक 31.3.16 को गृहकर बकाया राशि
1	हि0प्र0 विद्युत बोर्ड लि0 घुमारवीं	71	15545	244600
2	हि0प्र0 दूरसंचार निगम घुमारवी	72	16495	232117
			योग	**₹476717**

वार्ड नं0 2

1	श्री दिनेश कुमार	45	10976	136665
2	श्री प्यारे लाल	55	30544	147920
3	श्री सरफराज	164	18630	149040
4	हि0प्र0 पथ परिवहन निगम घुमारवीं	177	31436	410124
			योग	**₹843749**

वार्ड नं0 5

क्र0सं0	नाम	गृहकर निर्धारण सं0	वार्षिक गृहकर राशि	दिनांक 31.3.16 को गृहकर बकाया राशि
1	प्रबन्धक सरस्वती विद्या मन्दिर घुमारवीं	84	9355	116072
2	श्री श्याम बिहारी	141	19245	251032
3	श्री हीरा लाल महाजन	146	13445	145375
4	श्री प्रेम दास	259	78712	387780
			योग	**₹900259**

वार्ड नं0 6

1	शिवा कालेज ऑफ ऐजुकेशन घुमारवीं	75	85250	280687
			योग	**₹280687**
			कुल गृहकर बकाया राशि	**₹2501412**

(3) गृहकर गणना की गृहकर मांग व संग्रह रजिस्टर में प्रविष्टियाँ न करने के कारण गृहकर की ₹5.16 लाख की वसूली न करने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान पाया कि निम्नविवरणानुसार परिषद द्वारा गृहकर गणना रजिस्टर में गृहकर की गणना की गई लेकिन गृहकर मांग व संग्रह रजिस्टर में मांग दर्ज नहीं की गई थी जिसके फलस्वरूप परिषद द्वारा ₹516151 की वसूली नहीं की गई। अतः निम्न मामलों में गृहकर प्राप्ति रजिस्टर में गृहकर की प्राप्ति हेतु प्रविष्टियों न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अब गृहकर माँग एवं संग्रह रजिस्टर में प्रविष्टियाँ दर्ज करके गृहकर की वसूली सुनिश्चित की जाए।

वार्ड नं0 1

क्र0सं0	**गृहकर गणना रजिस्टर पेज नं0**	**भवन मालिक का नाम**	**वर्ष/अवधि**	**गृहकर प्रतिवर्ष**	**अवधि 3/2016 तक गृहकर राशि जो परिषद द्वारा वसूल नहीं की गई (₹)**
1	112	श्री बंशी राम	2008–09 से 2015–16	4863	38904
2	114	श्री राजेश कुमार	2014–15 से 2015–16	2970	5940
3	126	श्री राजेश कुमार	2015–16	842	842
4	130	श्री कृष्णा नंद	2015–16	19012	19012
5	233	श्री गोपाल दास	2/15 से 3/2016 तक	6144	7176
6	237	श्रीमति जगदंबा शर्मा	3/2015	785	785
			4/2015 से 3/2016	9425	9425
वार्ड नं0 2					
7	239	श्री प्रमोद कुमार	2/16 से 3/16	25048	4174
वार्ड नं0 3					
8	107	कृषि उपज विपणन मण्डी बिलासपुर	2015–16	34896	34896

9	111	श्री दया राम	2006–07 से 2015–16	2700	27000
10	117	श्री दया राम	3/15	16111	1343
			2015–16	16111	16111
वार्ड नं0 4					
11	144	श्री गोवर्धन दास	3/14 2014–15 से 2015–16	9090 9090	758 18180
12	168	श्री जगत पाल	2015–16	5347	5347
13	192	श्री कमलेश कुमार	2015–16	12385	12385
वार्ड नं0 5					
14	3	श्री रमेश कुमार	2015–16	32484	32484
15	257	श्रीमती उमा चन्देल	2014–15 व 2015–16	22275 22275	2275 22275
16	258	श्री राम स्वरूप	2015–16	14580	14580
17	262	श्री विद्या सागर	2013–14 2014–15 से 2015–16	7958 7958	17343 15916
18	264	श्री अशोक कुमार	2015–16	1485	1485
19	274	श्री श्याम सुन्दर	11/13 से 3/14 2014–15 से 2015–16	2310 2310	1152 4620
20	276	श्री ज्ञान प्रकाश	2013–14	2700	2700
21	278	श्री शमशेर सिंह	2013–14	3125	3125
22	282	श्री बलवीर सिंह	2013–14 2014–15 से 2015–16	7170 7170	1195 14340
23	284	श्रीमती जगदंबा	2013–14 2014–15 से 2015–16	7320 4320	4320 7640
24	286	श्री संजीव कुमार	2013–14 2014–15 से 2015–16	4217 4217	4217 8434
25	290	श्री राज कुमार मिश्रा	2013–14	1080	1080
			2014–15 से 2015–16	1080	2160
26	298	श्री ओ0पी0 चडडा	2014–15 से 2015–16	15008	30016
27	320	श्री लेख राम	2000–01 से 2015–2016	931	14896
28	322	श्रीमति सुनीता देवी	2015–16	1194	1194

29	326	श्री सन्तोष कुमार	2014–15 से 2015–16	19419	47466
वार्ड नं0 6					
30	101	श्री बासुदेव	2015–16	6750	6750
31	110	श्री राकेश कुमार	2015–16	4050	4050
32	120	श्री रघुवीर सिंह	2015–16	7288	7288
33	122	श्री जगदीश चंद	2015–16	4597	4597
34	128	श्री दीना नाथ	2015–16	4992	4992
35	130	श्री मनमोहन	2015–16	4682	4682
36	132	श्रीमती कमला देवी	2015–16	5400	5400
37	140	श्री सुभाष चंद	2015–16	1869	1869
38	142	श्री अमर नाथ	2015–16	2223	2223
39	148	श्री जगदीश कुमार	2015–16	3375	3375
वार्ड नं0 7					
40	62	श्री सुरेन्द्र पाल	2015–16	2622	2622
41	76	श्री धर्म सिंह	2015–16	5056	5056
42	76/1	श्री प्रीतम सिंह	2015–16	5056	5056
			कुल योग		**₹516151**

(4) गृहकर के मांग व संग्रह रजिस्टर में बकाया ₹11.11 लाख का कम दर्शाया जानाः–

नगर परिषद घुमारवीं के गृहकर मांग व संग्रह रजिस्टर की जाँच करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट "ठ"** अनुसार कई मामलों में गृहकर की बकाया राशि को वर्ष में या तो कम दर्शाया गया है या फिर दर्शाया ही नहीं गया है जिसके परिणामस्वरूप संस्था को ₹1111003/– की हानि हुई। अतः इन मामलों की पूर्ण छानबीन करने के उपरान्त मांग एवं सग्रह रजिस्टर में सही आंकड़ा दर्ज किया जाये व गृहकर की तदानुसार वसूली सुनिश्चित की जाये। कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10 दुकानों के किराये से प्राप्त आय की जाँच करने पर निम्न अनियमिततायें पाई गईः–

(1) दुकानों के किराये की बकाया ₹3.76 की वसूली न करने बारेः–

अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.2016 तक दुकानों के किराये की बकाया ₹376199 वसूली हेतु शेष थी जिसका विवरण अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "ड"** में दिया गया है। नगर परिषद द्वारा किराये की वसूली हेतु कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है। अतः मासिक किराये की राशि नियमित रूप से प्राप्त न किये जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 में दिए गए प्रावधानो ंके अनुसार सम्बन्धित दुकानदारों को नाटिस जारी किए जाए तथा नियम 258 के उप

नियम (2) तथा (3) के प्रावधानों के अनुसार किराया न देने वाले दुकानदारों के विरूद्ध कार्रवाई करके बकाया राशि की वसूली सुनिश्चित करें।

(2) दुकानों को किरायेदारों द्वारा खाली/छोड़ने पर किराये की बकाया ₹0.36 लाख की वसूली न करने बारेः—

नगर परिषद घुमारवीं के अवधि 4/2014 से 3/2016 तक के अंकेक्षण के दौरान किराये रजिस्टर की जाँच में पाया गया कि निम्नविवरणानुसार परिषद की दुकानों को किरायेदारों द्वारा खाली/छोड़ दिया गया था लेकिन किराये की बकाया ₹36430/— की वसूली नहीं की गई थी। अतः उक्त राशि की वसूली हेतु परिषद द्वारा कार्रवाई न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इस किराये की बकाया राशि की वसूली हेतु ठोस कदम उठाये जाये तथा कृत अनुपालना से विभाग को अवगत करवाया जाये।

क्र0सं0	दुकान नं0	नाम दुकानदार	किराया प्रतिमाह	दुकान खाली करने की तिथि	दिनांक 31.3.16 तक किराया बकाया राशि
1	27	श्री रूप सिंह	180	23.11.13	21995
2	31	श्री रोशन लाल	605	3/13	14435
				योग	**₹36430**

(3) दुकानों के किराये से प्राप्त आय पर ₹0.56 लाख के सेवाकर का भुगतान न करनाः—

केन्द्रीय आबकारी एवं कराधान विभाग के सेवाकर अधिनियम के अनुसार किराये से प्राप्त आय पर सेवाकर का भुगतान किया जाना अपेक्षित था लेकिन नगर परिषद घुमारवीं द्वारा वर्ष 2014—15 व 2015—16 के दौरान किराये से प्राप्त आय पर निम्नविवरणानुसार देय सेवाकर ₹56121 का केन्द्रीय आबकारी एवं कराधान विभाग को भुगतान नहीं किया गया था।

माह/वर्ष	किराये से प्राप्त राशि	सेवा कर दर%	सेवाकर की भुगतान योग्य राशि
2014—15	204185	12.36%	25237
4/2015	10122	12.36%	1251
5/2015	17192	12.36%	2125
6/2015	9232	14%	1292
7/2015	9066	14%	1269
8/2015	45827	14%	6416
9/2015	14532	14%	2034

10/2015	5442	14%	762
11/2015	10265	14.5%	1488
12/2015	53064	14.5%	7694
1/2016	5672	14.5%	822
2/2016	27782	14.5%	4028
3/2016	11742	14.5%	1703
		योग	**₹56121**

सेवा कर अधिनियम के अनुसार केन्द्रीय आबकारी एवं कराधान विभाग को सेवाकर का भुगतान न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया लाए तथा सेवाकर की उपरोक्त भुगतान योग्य राशि को केन्द्रीय आबकारी एवं कराधान विभाग को भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त सेवाकर की देय राशि का सम्बन्धित संस्था/विभाग को समय पर भुगतान न करने पर सरकारी प्राप्तियों का दुरूपयोग किया गया है।

सरकारी प्राप्तियों को समय पर जमा न करने के कारण यदि केन्द्रीय आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा कोई दण्ड (Panality) लगाया जाता है तो उसके लिए सम्बन्धित आहरण एवं संवितरण अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा। अतः उपरोक्त देय सेवाकर की राशि का सम्बन्धित विभाग को भुगतान करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में भी समय पर नियमानुसार देंय सेवाकर का समय पर भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

11 4th राज्य वित्त आयोग (4th SFC) की प्राप्त अनुदान राशि से ₹114.07 लाख का अनुचित व्ययः–

अंकेक्षण के दौरान 4th राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान राशियों एवं उससे किये गये व्यय की जाँच करने पर पाया गया कि वर्ष 2014–15 व 2015–16 के दौरान 4th SFC के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार ₹17779042 अनुदान के रूप में प्राप्त हुई थी।

क्र0सं0	प्राप्ति की तिथि	अनुदान प्राप्ति पत्र सं0	प्राप्त राशि (₹)
1	14.4.14	UD-H(10)-1-2013/651-678 दिनांक 10.4.14	164883
2	9.8.14	UD-H©(10)-1/2013 RTGS दिनांक 9.8.14	7173741
3	26.5.15	RTGS दिनांक 26.5.15	10171475
4	2.11.15	RTGS दिनांक 2.11.15	260214
5	31.12.15	RTGS (Interest) दिनांक 31.12.15	8729
			₹17779042

उपरोक्त प्राप्त अनुदान राशियों से सम्बन्धित स्वीकृति पत्रों के अनुसार 4th SFC का उपयोग निम्न उद्देश्यों हेतु किया जाना अपेक्षित था।

(1) Maintenance of Assets (like Street Light Public Toilets etc)

(2) Performance of statutory and delegated function

(3) Honoraium to elected Representative

नगर परिषद द्वारा 4th SFC की प्राप्त अनुदान का उपयोग वर्ष 2014–15 व 2015–16 के दौरान उपरोक्त उद्देश्यों के अतिरिक्त परिषद के कर्मचारियों के वेतन हेतु किया गया जिसका विवरण निम्नलिखित है जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "ढ"** में भी दिया गया है।

क्र0सं0	**व्यय का विवरण**	**राशि**
1	वर्ष 2014–15 में कर्मचारियों के वेतन पर व्यय	5443193
2	वर्ष 2015–16 में कर्मचारियों के वेतन पर व्यय	5964276
	कुल अनियमित व्यय	11407469

सरकार द्वारा जारी अनुदान को नगर परिषद के विकास कार्यों एवं अनुदान की शर्तों के अनुसार व्यय न करके अन्य उद्देश्यों हेतु अनुदान का उपयोग करके अनुदान की प्राप्त राशि का दुरूपयोग करना एक गम्भीर अनियमितता है। 4th राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से उपरोक्त विवरणानुसार किये गये अनुचित एवं अनियमित व्यय ₹11407469 के बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अनियमित रूप से किये गये व्यय को सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करके नियमितिकरण करवाया जाए अन्यथा उपरोक्त राशि की उचित स्त्रोत से प्रतिपूर्ति करके राशि सम्बन्धित अनुदान में जमा की जाए। उपरोक्त विवरणानुसार अनुदान की प्राप्त राशि में से ₹11407469/– का अनुचित व्यय करने बारे मामला निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश सरकार के ध्यानार्थ उचित कार्रवाई हेतु लाया जाता है।

12 निर्माण कार्यों से सम्बन्धित भुगतान/अन्य अभिलेखों की जाँच करने पर ₹0.48 लाख के अधिक भुगतान/कम वसूलियों के मामले पाये गये जिनका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

(1) ₹20000 की वसूली न करनाः–

कार्य का नामः लाईसैंस ब्रांच एस0डी0एम0 कार्यालय के बाहर वेटिंग शैल्टर का निर्माण करना

संविदाकार का नामः– श्री सतीश कुमार

अवार्ड पत्रः MCG/works/12-13/2-1889-90 दिनांक 218.12

अनुबन्ध राशि–₹199973

उपरोक्त कार्य के प्रथम व अन्तिम बिल का भुगतान वाऊचर संख्या 9 दिनांक 25.6.15 द्वारा ₹146822/– के लिए किया गया था यह भुगतान मापन पुस्तिका संख्या 33 पृष्ठ 71 से 76 पर किया गया था। अनुबन्ध की शर्त संख्या 3 के अनुसार कार्य पूर्ण करने की अवधि 3 माह थी जो कार्य आंबटन के 15 दिन से आरम्भ होनी थी। अनुबन्ध की शर्त संख्या 4 के अनुसार यदि संविदाकार समय पर कार्य पूर्ण नहीं करता है तो संविदाकार से अधिक लिए गये समय के लिए ₹200 प्रतिदिन की दर से या अधिकतम ₹20000 की दण्ड अधिरोपित किए जाने का प्रावधान निहित था। अंकेक्षण के दौरान अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि मापन पुस्तिका संख्या 33 पृष्ठ 71 पर की गई प्रविष्टियों के अनुसार उपरोक्त कार्य दिनांक 13.2.15 को पूर्ण किया गया था। संविदाकार द्वारा समय पर कार्य पूर्ण न करने पर अनुबन्ध की शर्त 4 के अनुसार ₹20000 की वसूली की जानी अपेक्षित थी लेकिन उपरोक्त मामले में संविदाकार से कोई वसूली नहीं की गई थी। संविदाकार से अनुबन्ध की शर्त के अनुसार समय पर कार्य पूर्ण न करने पर ₹20000 की वसूली न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा ₹20000 की अब वसूली करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(2) संविदाकार से 100 बैग की ₹22000 की वसूली न करनाः–

संविदाकार लैजर के पृष्ठ 32 के अनुसार श्री सन्तोष कुमार संविदाकार को टिकरी रोड से अत्री के घर तक सड़क के निर्माण कार्य हेतु निम्न विवरणानुसार 1000 सीमेन्ट बैग जारी किए गये थे।

क्र0सं0	इन्डैट नं0	दिनांक	जारी सीमेन्ट बैग की सं0	दर	राशि
1	91	6.3.13	50 बैग	220 प्रति बैग	11000
2	102	6.4.13	50 बैग	220 प्रति बैग	11000
				जोड़	**22000**

संविदाकार रजिस्टर के अनुसार लगभग तीन वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी उपरोक्त सामग्री की वसूली नहीं दिखाई गई है। अतः उपरोक्त विवरणानुसार ₹22000 की सम्बन्धित संविदाकार से वसूली करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(3) ₹6000 का अधिक भुगतानः–

कार्य का नामः– वार्ड नं0 7 दकड़ी में गोपाल के घर के साथ सड़क का निर्माण करना

संविदाकार का नामः–श्री अमर सिंह

वाउचर संख्या 85 माह 6/2015 ₹135056

उपरोक्त वाउचर द्वारा कार्य के प्रथम चलत बिल का भुगतान किया गया था। प्रथम चलत बिल की मद संख्या 3 द्वारा वर्णित कार्य प्रोवाईडिंग एण्ड लेईंग सी:सी:1:2:4 एन 20 इत्यादि से सम्बन्धित किए गये कार्य की कुल मात्रा 17.82 घन मी0 का भुगतान ₹4800 प्रति घन मी0 की दर से मापन पुस्तिका संख्या 33 पृष्ठ 90 पर किया गया था। उपरोक्त कार्य मात्रा की गणना मापन पुस्तिका संख्या 33 पृष्ठ 89 पर की गई गणना की जाँच करने पर पाया गया कि गणना में गलती के कारण कार्य मात्रा 16.57 घन के स्थान पर 17.82 घन मी0 दर्शाई गई थी जिसके फलस्वरूप संविदाकार को 1.25 घन मी0 (17.82 घन मी0–16.57 घन मी0) कार्य मात्रा के लिए ₹4800 प्रति घन मी0 की दर से ₹6000/–(1.25 घन मी0x₹4800) का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली सुनिश्चित की जाए।

13 मोबाईल टावरों की स्थापना एवं नवीनीकरण शुल्क ₹0.67 लाख की वसूली न करना:–

अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि परिषद क्षेत्र में विभिन्न कम्पनियों द्वारा रिहायशी एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों के भवनों के ऊपर मोबाईल टावर स्थापित किये गये है। हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या (डी0आई0टी0)–डी0ई0वी0 (आई0टी0) 2005 (एम0आई0एस0सी0) दिनाँक 20.8.2006 द्वारा निर्धारित स्थापना एवं नवीनीकरण शुल्क की बकाया ₹67500/– दिनांक 31.3.2016 को विभिन्न कम्पनियों से वसूल करनी शेष थी जिसका विवरण **परिशिष्ट "ण"** में दिया गया है। अतः मोबाईल टावरों की स्थापना एवं नवीनीकरण शुल्क की बकाया राशि को शीघ्र सम्बन्धित कम्पनियों से वसूल करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

14 कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 के प्रावधानों की अनुपालना न करना

कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपलब्ध अधिनियम 1952 के प्रावधान 08.01.2011 से सभी नगर परिषदों एवं नगर निगम में लागू थे जिसके बारे में निदेशक, शहरी विकास विभाग द्वारा पत्र संख्या UD-H(B)(10)-2/2007-1923-72 दिनांक 30.1.2012 द्वारा सभी नगर परिषदों को सूचित किया गया था जिसकी अनुपालना में नगर परिषदों को यह सुनिश्चित करना था कि जिन संविदाकारों के माध्यम से व निर्माण कार्य करवा रहे हैं वह अपने कर्मचारियों का ई0पी0एफ0 कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पास जमा कर रहे है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या 83 दिनांक 17.9.2016 द्वारा कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद घुमारवीं को संविदाकारों

के ई0पी0एफ0 नं0 सूचित करने को कहा गया था लेकिन कार्यकारी अधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की, जिससे यह प्रतीत होता है कि जिन संविदाकारों के माध्यम से निर्माण कार्य करवाये गये है वह अपने कर्मचारियों का ई0पी0एफ0 जमा नहीं कर रहे है। संविदाकारों द्वारा अपने कर्मचारियों का ई0पी0एफ0 जमा न करने पर यदि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा नगर परिषद को कोई पैनल्टी लगाई जाती है तो इसके लिए समबन्धित आहरण एवं संवितरण अधिकारी उत्तरदायी होगें। इसके अतिरिक्त भविष्य में कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 के प्रावधानों की अनुपालना करते हुये निर्माण कार्य करवाये जाने सुनिश्चित किए जाए।

15 भवन निर्माण मानचित्र शुल्क एवं विचलन अनुमोदन चार्जिज की वसूली न करने पर नगर परिषद को लाखों रूपये की हानिः—

नगर परिषद द्वारा प्रस्ताव संख्या 275/40 दिनांक 29.10.2015 द्वारा 64 भवन निर्माण मानचित्र स्वीकृत किए गये थे जिनमें से माह सितम्बर 2016 तक 31 मानचित्रों की मानचित्र अनुमोदन शुल्क व विचलन अनुमोदन चार्जिज ₹1046451 प्राप्त किये गये थे। 33 (64—31) मानचित्र अनुमोदन शुल्क एवं विचलन अनुमोद शुल्क को जमा करने हेतु सम्बन्धित भवन मालिकों को पत्र जारी नहीं किए गये थे जिसके फलस्वरूप इन भवन मालिकों से मानचित्र अनुमोदन फीस प्राप्त नहीं हुई थी जिससे नगर परिषद को लाखों रूपये की हानि हुई है। नगर परिषद द्वारा मानचित्र स्वीकृत करने के पश्चात सम्बन्धित भवन मालिकों को मानचित्र उपलब्ध करवाकर उनसे मानचित्र अनुमोदन शुल्क प्राप्त किया जाना था लेकिन लगभग एक वर्ष का समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी सम्बन्धित भवन मालिकों को न तो मानचित्र अनुमोदन शुल्क जमा करने को कहा गया है न ही अनुमोदित मानचित्र उन्हें उपलब्ध करवाये गये थे। यह एक गम्भीर अनियमितता है जिसके बारे स्थिति स्पष्ट करने के अतिरिक्त स्वीकृत मानचित्रों की मानचित्र अनुमोदन शुल्क/विचलन अनुमोदन शुल्क प्राप्त करके कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए। उपरोक्त मामला अंकेक्षण अधियाचना संख्या 85 दिनांक 20.9.16 द्वारा कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद घुमारवीं के ध्यान में लाया गया था लेकिन कार्यकारी अधिकारी द्वारा उपरोक्त मामले में कोई उत्तर नहीं दिया गया।

16 संविदाकारों को परिषद द्वारा सीमेन्ट न जारी करने पर लाखों रूपये की हानिः—

नगर परिषद घुमारवीं के स्टॉक रजिस्टर के अनुसार माह 4/2013 के पश्चात हिमाचल प्रदेश सिविल सप्लाई कारपोरेशन के माध्यम से सीमेन्ट क्रय नहीं किया गया था तथा

माह 8/2013 के पश्चात संविदाकारों को नगर परिषद के निर्माण कार्यें के लिए स्टोर से सीमेन्ट जारी नहीं किया गया था संविदाकारों द्वारा माह 8/2013 के पश्चात खुले बाजार से अपने स्त्तर पर सीमेन्ट क्रय करके निर्माण कार्यों में उपयोग किया गया था। सिविल सप्लाई कारपोरेशन के माध्यम से सीमेन्ट क्रय करके संविदाकारों को ₹220 प्रति बैग की दर से सीमेन्ट जारी किया जा रहा था जबकि खुले बाजार में सीमेन्ट की दर लगभग ₹350 प्रति सीमेन्ट बैग है। खुले बाजार से सीमेन्ट क्रय करने के कारण अनावश्यक रूप से निर्माण कार्यों की लागत बढ़ाई गई है जिससे नगर निगम को लाखों रूपये की हानि हुई है। यह मामला अवधि 4/2012 से 3/2014 के अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 10 द्वारा भी नगर परिषद के अधिकारियों के ध्यान में लाया गया था लेकिन नगर परिषद द्वारा इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई। अतः नगर परिषद द्वारा अपने स्त्तर पर हिमाचल प्रदेश सिविल सप्लाई कारपोरेशन के माध्यम से सीमेन्ट क्रय करके संविदाकारों को निर्माण कार्यों हेतु जारी न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में हिमाचल प्रदेश सिविल सप्लाई से सीमेन्ट क्रय करके नगर परिषद के निर्माण कार्यों हेतु सविंदाकारों को जारी किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

17 बिजली उपकर व शराब उपकर की प्राप्ति बारे उचित अभिलेख का संरक्षण न करनाः—

नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण अवधि में बिजली उपकर व वर्ष 2015—16 का शराब उपकर सम्बन्धित विभागों से प्राप्त नहीं किया गया था। साथ ही साथ सम्बन्धित अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि परिषद द्वारा माँग व प्राप्तियों से सम्बन्धित अभिलेख का संरक्षण भी नहीं किया गया था जिसके अभाव में इन प्राप्तियों पर निगरानी नहीं रखी जा सकती जैसे कि निर्धारित दर से कुल कितनी राशि देय थी, कितनी राशि प्राप्त की गई व कितनी बकाया थी। अपेक्षित अभिलेख के संरक्षण न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए एवं भविष्य में उचित अभिलेख का संरक्षण करना सुनिश्चित किया जाए एवं कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

18 वाहन संख्या एच0पी0—23—बी—7487 के डीजल की विवरणिका में अन्तर बारेः—

नगर परिषद घुमारवीं के वाहन संख्या एच0पी0 23 बी—7487 की लॉग बुक की जाँच करने पर पाया गया कि दिनांक 30.9.2015 को कुल डीजल तेल का अन्तशेष 65 लीटर

बकाया दर्शाया गया। दिनांक 5.10.15 को वाहन में 45 लीटर, दिनांक 12.10.15 को 58.24 लीटर, 20.10.15 को 50 लीटर तथा 24.10.15 को 55 लीटर तेल भरवाया गया। अतः दिनांक 31.10.15 तक वाहन में कुल डीजल तेल (65+45+58.24+50+55=273.24) लीटर बनता है, परन्तु सम्बन्धित वाहन की लाग बुक में माह 10/2015 के मासिक तेल खपत विवरणिका में कुल डीजल तेल 250 लीटर दर्शाया गया है। इस प्रकार (273.24–250=23.24 लीटर) डीजल तेल लॉग बुक में कम दर्शाया गया है। अतः लॉग बुक में 23.24 लीटर डीजल तेल कम दर्ज करने का औचित्य स्पष्ट करें तथा चूककर्ता/सम्बन्धित कर्मचारी से 23.24 लीटर डीजल तेल की राशि की वसूली करके राशि परिषद निधि में जमा करवाना सुनिश्चित करें।

19 वर्गीकृत खाता बहियों को तैयार न करनाः–

नगर परिषद द्वारा हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 के नियम 66 व 67 के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के करों की वसूली की जा रही है। इसी प्रकार विभिन्न मदो पर व्यय भी किया जा रहा है। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा आय व व्यय के मदवार पृथक–2 लेखा शीर्षों के अन्तर्गत खाता बहियाँ तैयार नहीं की गई थी। मदवार खाता बहियाँ तैयार नहीं होने की स्थिति में यह स्पष्ट नहीं होता है कि एक निश्चित अवधि में विभिन्न मदों में आय व व्यय की कितनी माँग थी, कितनी प्राप्ति व व्यय हुआ तथा एक निश्चित तिथि को कितनी राशि वसूली अथवा भुगतान हेतु शेष थी। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि प्रत्येक आय व्यय मद की खाता बहियाँ तैयार की जाए ताकि किसी भी प्रकार की कम अथवा अधिक प्राप्ति/व्यय की सम्भावना को रोका जा सके तथा प्रत्येक मद का सही आंकड़े एक नजर में देखें जा सके। कृत कार्यवाही उपरान्त अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

20 स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न किया जानाः–

अभिलेख की जाँच में पाया गया कि अंकेक्षणाधीन अवधि में नगर परिषद के विभिन्न स्टॉक रजिस्टरों में पड़े सामान की भौतिक सत्यापना (Physical Verification) नहीं की गई है जबकि हिमाचल प्रदेश वित्त नियम की धारा 15.17 के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष स्टॉक में पड़े सामान की भौतिक सत्यापना करवाई जानी अपेक्षित है। अतः नियमों की अवहेलना करके प्रत्येक वर्ष भौतिक सत्यापन न करवाने का औचित्य स्पष्ट किया जाये व अविलम्ब भौतिक सत्यापना करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये व भविष्य में प्रत्येक वर्ष नियमित रूप से भौतिक सत्यापना करवाई जानी सुनिश्चित की जाये।

21 **लघु आपत्ति विवरणिकाः—** यह अलग से जारी नहीं की गई है।

22 **निष्कर्षः—** लेखों के रख—रखाव में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता / —
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश शिमला—171009.

पृष्ठांकन संख्या :— फिन (एल0ए0)V(27)खण्ड—3—1598—1599 दिनांकः09.03.2017, शिमला—171009.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है :—

1. निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश शिमला—171002,

पंजीकृतः—2. कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद हमीरपुर, जिला हमीरपुर हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक मास के भीतर प्रेषित करें।

हस्ता / —
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश शिमला—171009.

परिशिष्ट (क)   पैरा संख्या 1 (घ) में सन्दर्भित

नगर परिषद घुमारवीं के गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से है:–

(क) अंकेक्षााण प्रतिवेदन अवधि 4/72 से 3/86

अवधि 4/72 से 3/86 तक के अंकेक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं करवाये गए। अतः इस अवधि के शेष पैरो पर की गई कार्रवाई का अवलोकन नहीं किया जा सका। अतः कार्यकारी अधिकारी इस अवधि के अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर शीघ्र कार्यवाही करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण के समय प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

(ख) अंकेक्षण अवधि 4/86 से 3/93

1	पैरा 3 (ख)	अनिर्णीत
2	पैरा 3 (ग)	अनिर्णीत
3	पैरा 4	अनिर्णीत
4	पैरा 5 (क)	अनिर्णीत
5	पैरा 6	अनिर्णीत
6	पैरा 7 (क) से (झ)	अनिर्णीत
7	पैरा 7 (ख) (ख) से (ण) व (थ) (थ) से (द) (ढ)	अनिर्णीत
8	पैरा 8 से 14	अनिर्णीत
9	पैरा 15 (1) से (4)	अनिर्णीत
10	पैरा 15 (9) से (10)	अनिर्णीत

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/93 से 3/95

1	पैरा 4	अंशिक निर्णीत	(₹90000 की वसूली शेष)
2	पैरा 6	अनिर्णीत	
3	पैरा 7 (क) (ख)	अनिर्णीत	
4	पैरा 8, 9	अनिर्णीत	
5	पैरा 10 (1) से (3)	अनिर्णीत	
6	पैरा 11 (1) से (2)	अनिर्णीत	
7	पैरा 12 (1) से (2)	अनिर्णीत	
8	पैरा 13 (1) से (2)	अनिर्णीत	
9	पैरा 14 (1) से (24)	अनिर्णीत	
10	पैरा 15 (1) से (3)	अनिर्णीत	
11	पैरा 16(1) से (22)	अनिर्णीत	
12	पैरा 17	अनिर्णीत	
13	पैरा 18 (1) से (6)	अनिर्णीत	

(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/95 से 3/02

1	पैरा 3	अनिर्णीत
2	पैरा 4	अनिर्णीत
3	पैरा 5	अनिर्णीत
4	पैरा 6 (क) (ख)	अनिर्णीत
5	पैरा 7, 8, 9, 10	अनिर्णीत
6	पैरा 11 (क) से (घ)	अनिर्णीत
7	पैरा 12	अनिर्णीत
8	पैरा 13 (1) से (37)	अनिर्णीत

(ङ) अंकक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2002 से 3/2007

1	पैरा 4 (8) (1) से (6)	अनिर्णीत
2	पैरा 5 (5)	अनिर्णीत
3	पैरा 6 (2)	अनिर्णीत
4	पैरा 6 (8)	अनिर्णीत
5	पैरा 7 (1) (4)	अनिर्णीत

(च) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2009

1	पैरा 4 (एफ) (i) (iii)	अनिर्णीत
2	पैरा 5 (ए)	अनिर्णीत
3	पैरा 6 (क)	अनिर्णीत
4	पैरा 7 (ख) (i)	अनिर्णीत
5	पैरा 7 (घ)	अनिर्णीत

(छ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/09 से 3/12

1	पैरा 6	अनिर्णीत
2	पैरा 7	अनिर्णीत
3	पैरा 8 (3)	अनिर्णीत
4	पैरा 9	अनिर्णीत
5	पैरा 15	अनिर्णीत
6	पैरा 16	अनिर्णीत
7	पैरा 19	अनिर्णीत

(ज) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2012 से 3/2014

1	पैरा 3	समाप्त	(अंकेक्षण शुल्क की ₹32400 वाउचर नं0 290 दिनांक 20.3.15 द्वारा जमा कर दी गई है।)
2	पैरा 4 (1) (2) (3) (4)	समाप्त	(उत्तर अपेक्षित नहीं)
3	पैरा 5 (1)	समाप्त	(पुनः प्रारूपित)
4	पैरा 6	समाप्त	(सावधि जमा योजना में निवेशित राशियों को उनकी परिपक्वता तिथि पर पुनः निवेशित/भुना लिया गया है)
5	पैरा 7	अनिर्णीत	

6	पैरा 8 (1) से 8 (9)	अनिर्णीत	
7	पैरा 9	समाप्त	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में दी गई है)
8	पैरा 9 (1)	अनिर्णीत	
9	पैरा 9 (2)	अनिर्णीत	
10	पैरा 10	अनिर्णीत	
11	पैरा 11	समाप्त	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में दी गई है)
12	पैरा 12	समाप्त	(अनुपालना की समीक्षा उपरान्त)
13	पैरा 13	समाप्त	(अनुपालना की समीक्षा उपरान्त)
14	पैरा 14	समाप्त	(अनुपालना की समीक्षा उपरान्त)
15	पैरा 15	अनिर्णीत	
16	पैरा 16	अनिर्णीत	
17	पैरा 17	अनिर्णीत	
18	पैरा 18 (1)	अनिर्णीत	
19	पैरा 18 (2)	अनिर्णीत	
20	पैरा 18 (3)	अनिर्णीत	
21	पैरा 18 (4)	अनिर्णीत	
22	पैरा 19	समाप्त	(₹1250 वसूली की पुष्टि कर ली गई है)
23	पैरा 20	समाप्त	(₹564 की वसूली की पुष्टि कर ली गई है)

अनिर्णीत पैरों का सार

अवधि 3/14 तक अनिर्णीत पैरे	81
4/14 से 3/16 के दौरान लगाए गए पैर (+)	17
कुल	98
अंकेक्षण अवधि के दौरान पैरे (–)	11
शेष	87